<u>संख्या: 14 /2026/ 1352(1) /तीस-1-2025-5(18)/2015</u>

प्रेषक,

केoपीo सिंह,
विशेष सचिव,
उoप्रo शासन ।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 16 फरवरी, 2026

विषय: बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला ललितपुर के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1266बी/डीए/पूर्व/25-25जेईटी/विo/15-16, दिनांक 28.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/2015/1241/तीस-1-2015-5(18)/2015, दिनांक 10.09.2015 द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0 499.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 249.86 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-23/2017/217/तीस-1-2017-5(18)/2015, दिनांक 11.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 249.86 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-07/2020/1140/तीस-1-2019-5(18)/2015, दिनांक 25.02.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 937.00 लाख (रू0 नौ करोड़ सैंतीस लाख मात्र + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख स्वीकृत की गयी। शासनादेश संख्या-12 /2021/ 267 /तीस-1-2021-5(18)/2015 दिनांक 26.03.2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 91.80 लाख एवं शासनादेश संख्या-06 /2021/669/तीस-1-2021-5(18)/2015 दिनांक 07.01.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुन: पुनरीक्षित आंकलित धनराशि रू0 1121.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पंचम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-28/2022/536/तीस-1-2022-5(18)/2015, दिनांक 24.11.2022 द्वारा षष्टम किश्त के रूप में धनराशि 223.6105 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी । इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1065.1305 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (वर्तमान में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.11.2025 द्वारा प्रश्नगत बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, ललितपुर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आंकलित धनराशि रू0 1121.19 लाख के सापेक्ष निविदा लागत के आधार पर आंकलित लागत की धनराशि रू0 1115.55 लाख (डी०सी०यू० पैर्टन तथा निविदा मूल्य के आधार पर जी०एस०टी०, लेबर सेस तथा सेन्टेज चार्जेज आदि) में से अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 1065.1305 लाख को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु सप्तम एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50,41,950.00 (रू० पचास लाख इकतालीस हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023, कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) प्रश्नगत कार्य के निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(13) परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करें कि कार्य की निविदा लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाये।

(13) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-32/2015/1241/तीस-1-2015-5(18)/2015, दिनांक 10.09.2015, शासनादेश संख्या-23/2017/217/तीस-1-2017-5(18)/2015, दिनांक 11.08.2017, शासनादेश संख्या-07/2020/1140/तीस-1-2019-5(18)/2015, दिनांक 25.02.2020, शासनादेश संख्या-12/2021/267/तीस-1-2021-5(18)/2015 दिनांक 26.03.2021, शासनादेश संख्या-06/2021/669/ तीस-1-2021-5(18)/2015 दिनांक 07.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-28/2022/536/तीस-1-2022-5(18)/2015, दिनांक 24.11.2022 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-E-9-253-X-2025-26-दिनांक: 11-2-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 14 /2026/ 1352 (2)/तीस-1-2025-5(18)/2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।